

रजिस्ट्री सं. टी. एच.-33004/93

Received from GOI Press
on.....

REGD. NO. D.L. 33004/93
H.C. (G.D. Unit)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 14, 1993/मंगलवार 23, 1915
No. 437] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 14, 1993/AGRAHAYANA 23, 1915

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
स्वापक नियंत्रण व्यूरो
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1993

सा. का. नि. 748(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 1993 है।

2843GI/93

(1)

Attested.

The Controller,
Deptt. of Publication,
Civil Lines, Delhi-110054

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 में, अनुसूची 1 में, शीर्षक "II, मनः प्रभावी पदार्थ" के अधीन निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात् :—

- "7. क्लोनाजेपाम - 5-(ओ - क्लोरोफेनिल)-1
3-डाइहाइड्रो-7-नाइट्रो-2 एच-1,
4-बेंजोडायजेपिन-2-वन"।

[फा. सं. 1/52/91-एन. सी. बी. (समन्वय)]

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Narcotics Control Bureau

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 1993

G.S.R. 748(E).—In exercise of the powers conferred by section 9, read with section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely :—

1 (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, in Schedule, under heading "II PSYCHOTROPIC Substances", the following serial number and entries thereof shall be omitted, namely :—

"7. Clonazepam—5—(O-Chlorophenyl)—1, 3-di-hydro-7-nitro-2 H-1, 4-benzodiazepin-2-one".

[F. No. I/52/91-NCB (Coord.)]

A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993

The Controller,
Deptt. of Publication,
Civil Lines, Delhi-110054